फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री कमलेश पिता श्री नारायण रेगर निवासी रेगर मौहल्ला केलवा तहसील व जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ़

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 15/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 20.08.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ द्वारा जरिये क्रमांकः उपदे/सूचना/2019/39–40 दिनांक 27.05.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी को वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांकः– उपदे/सूचना/ 2019/39–40 दिनांक 27.05.2019 को जरिये डाक के पते पर प्रेषित की जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये डाक से प्रेषित की जा चुकी है। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर)राजसमन्द	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)